

4. The approval is subject to the continued satisfaction of the prescribed authority and may be withdrawn with retrospective effect, if considered necessary.

(Signature)
(MALATHI R. SRIDHARAN)
UNDER SECRETARY (ITA.I)

Notification No. 10402 / F.No. 203/11/97/ITA.II

TO

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy forwarded to:

1. All Chief Commissioners and Directors General of Income-tax.
2. All Directors of Income-tax.
3. The Director of Income-tax (DOMS), R.K. Puram, New Delhi.
4. Shri Ministry of Environment
and Forests, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodi Road,
New Delhi, w.r. to his letter No. 26-11/90-EL dated
13.3.97.
5. Shri M/s Vikram Sarabhai
Centre for Development Interaction, Ahmedabad - 380 054
6. Joint Secretary and Legal Adviser, Ministry of Law,
Shastri Bhawan, New Delhi.
7. C&AG of India, New Delhi (40 copies).
8. Bulletin Section, DIT(RSP&PR), Hans Bhawan, New Delhi.

(MALATHI R. SRIDHARAN)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3(iii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
॥राजस्व विभाग॥
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 01.9.1997

अधिसूचना

का०आ० सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित संस्था/एसोसिएशन और इसके नीचे दिए गए उसके कार्यक्रम को सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जो आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6-ककग के अन्तर्गत निर्धारित प्राधिकारी हैं, द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35-गगख के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया है।

संस्था/एसोसिएशन का नाम

मे० विक्रम साराभाई विकास अन्तर्क्रिया केन्द्र, थलतेज टेकरा,
अहमदाबाद-380054

कार्यक्रम

मे० विक्रम साराभाई विकास अन्तर्क्रिया केन्द्र॥वीआई के एस ए टी॥
के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।

निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किए गए दोनों ही अनुमोदन अर्थात् ॥i॥ धारा 35-गगख की उपधारा ॥2॥ के अन्तर्गत उक्त संस्था/एसोसिएशन के लिए; और ॥iii॥ धारा 35-गगख की उपधारा ॥i॥ के अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम के लिए अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दिनांक 1.4.97 से 31.3.98 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे :

1. मै० विक्रम साराभाई विकास अन्तर्क्रिया केन्द्र॥वी आई के एस ए टी॥, थलसेज टेकरा, अहमदाबाद-380054 द्वारा संरक्षण गतिविधियों के लिए उसके द्वारा प्राप्त किए गए दानों का अंग से खाता रखा जाएगा ।
2. मै० विक्रम साराभाई विकास अन्तर्क्रिया केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा वित्त वर्ष ॥ 1997-98॥ के लिए अपने संरक्षण कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 1998 तक निर्धारित प्राधिकारी के पास भेजी जाएगी ।
3. मै० विक्रम साराभाई विकास अन्तर्क्रिया केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा कुल आय और देनदारियों को दशानि वाले वार्षिक खाते को दिनांक 30 जून तक निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और इन दस्तावेजों की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त के पास भेजी जाएगी ।
4. यह अनुमोदन निर्धारित प्राधिकारी की निरन्तर संतुष्टि के अधीन है और यदि आवश्यक समझा गया, तो इसे भूतलक्षी प्रभाव से वापस लिया जा सकता है ।

३०३. माल मी
॥ मालधी आर.श्रीधरन॥
अवर सचिव॥ आयकर नि०-II॥

अधिसूचना सं० ॥ फा० सं० 203/११/९७-आयकर नि०-II॥

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

मायापुरी, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि श्रीजी पाठानुरार प्रेषित ।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NEW DELHI, THE ~~AUGUST~~ 3rd September, 1997

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O. (E) - In exercise of powers conferred by section 80IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (i) These rules may be called the Income-tax (*North* Amendment) Rules, 1997.

(ii) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of October, 1994.

2. (i) In the Income-tax Rules, 1962, in Part II, in sub-part E, after Rule 11E, the following Rule shall be inserted, namely:-

"11EA. Guidelines for specifying industrially backward districts for the purpose of deduction under sub-clause (c) of clause (iv) of sub-section (2) of section 80 IA.

In specifying a district for notification as an industrially backward district under sub-clause (c) of clause (iv) of sub-section (2) of section 80 IA, the Central Government shall satisfy itself that, -

- (a) the district has a "Total Weighted Index Count" of 250 or less in the 'All India Gradation List' appended in appendix-III of these rules; or
- (b) the district is a "no industry" district as indicated in the "All India Gradation List" mentioned in clause (a); or
- (c) the district, is an inaccessible hill area district as indicated in the Eighth Plan Document and has a "Total Weighted Index Count" of 500 or less in the 'All India Gradation List' mentioned in clause (a); or